न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

वाद सं0 : 1036 सन 2020

अनवान :–

1. मोडुराम पुत्र किशनाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18/03/26

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 23 की 20.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 345 की 45.00 बीधा भूमि वादी के पिता किशनाराम पुत्र खीयाराम को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता किशनाराम एवं वादी के पिता किशनाराम के देहान्त होने पर वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 23 की 20.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 345 की 45.00 कुल 65.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /हाल खसरा न0 155 की 21.16 बीधा , व खसरा न0 174 की 50.00 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है।

किशनाराम पुत्र खीयाराम जाति राईका साकिन धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसका एक मात्र जायज वारिसान वादी है जिसके वादी के पिता किशनाराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में किशनाराम पुत्र खियाराम के वारिस की हैसियत से वादी के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है।

वादी के पिता किशनाराम वल्द खियाराम जाति राईका साकिन धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 23 हाल खसरा न0 155 एवं साबिका खसरा न0 345 हाल खसरा न0 174 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 155/1 की 0.4554हैक्ट व खसरा न0 174/2 की 1.265हैक्ट कुल 1.7204हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 23 व 174 की भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता किशनाराम वल्द खियारा के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी किशनाराम उसके वारिसान वादी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता किशनाराम पुत्र खियाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता किशनाराम पुत्र खियाराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी किशनाराम के देहान्त होने पर उनकी वारिसान वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 887/773 के खसरा न0 155/1 की 0.4550 एवं खसरा न0 174/2 की 1.265हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:09:52 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 887/773 के खसरा न0 155/1 की 0.4550 एवं खसरा न0 174/2 की 1.265हैक भूमि जो वादी के पिता किशनाराम पुत्र खियाराम को दिनांक 18.7.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता किशनाराम वल्द खियाराम के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता किशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 23 की 20.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 345 की 45.00 बीधा भूमि वादी के पिता किशनाराम पुत्र खीयाराम को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता किशनाराम एवं वादी के पिता किशनाराम के देहान्त होने पर वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 23 की 20.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 345 की 45.00 कुल 65.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /हाल खसरा न0 155 की 21.16 बीधा , व खसरा न0 174 की 50.00 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है।

किशनाराम पुत्र खीयाराम जाति राईका साकिन धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसका एक मात्र जायज वारिसान वादी है जिसके वादी के पिता किशनाराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में किशनाराम पुत्र खियाराम के वारिस की हैसियत से वादी के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है।

वादी के पिता किशनाराम को दिनांक 18.07.1968 को आवंटित भूमि में से वाद भूमि के अलावा शेष भूमि पूर्व में वादी के पिता एवं वादी के पिता के देहान्त होने के बाद वादी को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर रखा है केबल वाद भूमि गैरखातेदार दर्ज की गई है जिसे बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के पिता किशराना वल्द खियाराम जाति राईका साकिन धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 23 हाल खसरा न0 155 एवं साबिका खसरा न0 345 हाल खसरा न0 174 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 155/1 की 0.4550हैक व खसरा न0 174/2 की 1.265हैक कुल 1.7204हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:09:52 IST
Reason: SelfAttested

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 23 व 174 की भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता किशनाराम वल्द खियारा के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी किशनाराम उसके वारिसान वादी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर

वादी के पिता किशनाराम पुत्र खियाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता किशनाराम पुत्र खियाराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी किशनाराम के देहान्त होने पर उनकी वारिसान वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 887/773 के खसरा न0 155/1 की 0.4550 एवं खसरा न0 174/2 की 1.265हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 23 की कुल 20.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 345 की 45.00 बीधा भूमि किशनाराम वल्द खियाराम जाति राईका निवासी धानसिया को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि किशनाराम वल्द खियाराम का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस एक मात्र वादी है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किशनाराम के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

अर्थात वाद भूमि किशनाराम वल्द खियाराम को दिनांक 18.07.1968 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता किशनाराम के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी किशनाराम के देहान्त होने पर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 23 की 20.00 बीधा व साबिका खसरा न0 345 की 45.00 भूमि को हाल खसरा न0 155 की 21.16 बीधा एवं 174 की 50.00 बीधा में परिवर्तन कर पैमुद कर दी गई है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है।

वादी के पिता किशनाराम को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 23 एवं 345 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 155 व 174 में परिर्वतन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 155 एवं 174 की भूमि वादी के पिता किशनाराम को दिनांक 18.07. 1968 किो आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता किशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरखातेदारी वादी के नाम दर्ज है।

वादी के पिता किशराना वल्द खियाराम जाति राईका साकिन धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 23 हाल खसरा न0 155 एवं साबिका खसरा न0 345 हाल खसरा न0 174 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 155/1 की 0.4554है0 एवं खसरा न0 174/2 की 1.265हैक कुल 1. 7204हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जो वादी के पिता किशनाराम को आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज किशनाराम वल्द खियाराम को आवंटन दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:09:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी मोहर Rahul

पिता आवंटन दिनांक 18.07.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता किशनाराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। [illegible] स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर [illegible] कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी का[illegible]कार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:09:52 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के पिता किशनाराम पुत्र खियाराम जाति राईका निवासी धानसिया (जो सामान्य जाति का सदस्य है) को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 23/हाल खसरा न0 155/1 की 0.4554हैक एवं साबिका खसरा न0 345 हाल खसरा न0 174/2 की 1.2650हैक कुल 1.7204हैक भूमि आवंटन दिनांक 18.07.1968 का ही हिस्सा है जो आवंटि किशनाराम के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता किशनाराम वल्द खियाराम को आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 887/773 के खसरा न0 155/1 की 0.4550हैक ख खसरा न0 174/2 की 1.2650हैक कुल 1.7204हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:09:52 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :–

1. मोडुराम पुत्र किशनाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1036 सन 2019 निर्णय दिनांक – 18/03/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 887/773 के खसरा न0 155/1 की 0.4550हैक ख खसरा न0 174/2 की 1.2650हैक कुल 1.7204हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:09:52 IST
Reason: SelfAttested